B.Com. (HONS)
P2 – A/CC(H)·
Paper – III BRF

प्रो० धनंजय कुमार·
सहायक प्राध्यापक
वाणिज्य विभाग
V.S.J. महाविद्यालय
राजनगर (मधुबनी)

|UNIT| - IV

INDIAN COMPANIES ACT, 1956

A. MEANING OF COMPANY :— कानून द्वारा मान्यता प्राप्त एक ऐसी ऐच्छिक संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना तथा जिसकी पूँजी छोटे-2 अंशों में विभाजित होती है एवं ये अंश हस्तांतरणीय होते हैं, उसे कंपनी कहा जाता है. अंशों के धारक अंशधारी होते हैं जो वास्तव में कंपनी के स्वामी होते हैं. परन्तु कंपनी का प्रबंधन एवं संचालन, संचालक मंडल द्वारा होता है. अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किये गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है. चूँकि कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक संस्था है, जो कृत्रिम व्यक्ति जैसा होता है; अतः कंपनी एवं अंशधारी दोनों का अस्तित्व अलग-2 होता है-

कंपनी की परिभाषा अधिनियम एवं विद्वानों द्वारा निम्न प्रकार से दी गई है —

— (i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(20) के अनुसार, — "कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम के अधीन या इसके पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ है."

— (ii) हैने के अनुसार — "कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका पृथक अस्तित्व होता है, जिसे निरन्तर उत्तराधिकार प्राप्त होता है और जिसकी सार्वमुद्रा होती है."

Scanned with CamScanner

लार्ड लिन्डले के अनुसार, — "एक कंपनी विभिन्न व्यक्तियों की एक संस्था है जो कि धन या धन के बराबर (money) का अंशदान (contribution) एक संयुक्त कोष में जमा करते हैं तथा इसका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, जिसका निर्माण कानून द्वारा होता है, जिसका अस्तित्व स्वामी के अस्तित्व से अलग होता है, तथा अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है. वर्तमान समय में, बड़े पैमाने पर व्यापार करने के लिए कंपनी सर्वोत्तम प्रारूप माना जाता है.

कंपनी की विशेषता
CHARACTERISTICS OF COMPANY

कंपनी की विशेषताएँ निम्नलिखित है —

(i) कृत्रिम व्यक्ति का होना (Artificial Person)

(ii) पृथक वैधानिक अस्तित्व होना (Separate legal Entity)

(iii) विधान द्वारा निर्मित (Created by law)

(iv) स्थायी जीवन काल होना (Prepetual Existence)

(v) सार्व मुद्रा होना (Common Seal)

(vi) ऐच्छिक संघ का होना (Voluntary Association)

(vii) अंश हस्तांतरणीय होना (Transferability of shares)

(viii) पंजीकृत होना (Registration)

(ix) सीमित दायित्व का होना (Limited Liability)

(x) प्रबंध का स्वामित्व से अलग होना (Separation of Management from ownership)

कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का विस्तार निम्न प्रकार से किया गया है —

(i) चूँकि कंपनी का निर्माण कानून द्वारा होता है, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है। यह व्यक्ति की तरह अपनी समस्त क्रियाऐं अपने नाम से करती है। केवल मनुष्य की तरह आकार व रूप नहीं होता है।

(ii) कंपनी का निर्माण कानून द्वारा होने के कारण इसका अस्तित्व सदस्यों से अलग होता है। यह अपने नाम से संपत्तियों का क्रय-विक्रय कर सकती है; बैंक में खाता खोल सकती है, तथा अपने नाम से अनुबंध कर सकती है। कोई ऋणदाता ऋण वसूली के संदर्भ में केवल कंपनी पर मुकदमा चला सकता है न कि सदस्यों पर।

(iii) कंपनी की स्थापना, संचालन एवं समापन सभी कानून के प्रावधानों द्वारा होता है, तथा पंजीयन कराना भी अनिवार्य होता है, इसलिए इसे विधान (Law) द्वारा निर्मित संस्था कहा जाता है।

(iv) कंपनी के जीवनकाल पर इसके सदस्यों की मृत्यु, पागलपन, दिवालियापन या परिवर्तन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंशधारियों का आना-व जाना चलता रहता है, परन्तु कंपनी सदैव चलती रहती है, जब तक कि प्रावधानों के अनुसार कंपनी का समापन नहीं हो जाये। इसलिए कंपनी का जीवनकाल स्थायी होता है।

(v) चूँकि कंपनी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, इसलिए ये अपने संचालकों के माध्यम से कार्य करती है। संचालकों द्वारा तैयार किये गये सभी प्रपत्रों पर कंपनी की सार्वमुद्रा अंकित की जाती है जो हस्ताक्षर का कार्य करती है।

(vi) कंपनी कुछ व्यक्तियों का ऐच्छिक संघ होता है जिसका निर्माण ~~[illegible]~~ कानूनी प्रक्रिया द्वारा होता है। कोई विधान (Law) व्यक्तियों को कंपनी के निर्माण हेतु बाध्य नहीं कर सकता।

(vii) अंश हस्तांतरणीय होते हैं, क्योंकि कंपनी की पूँजी छोटे-2 अंशों में विभाजित होती है, तथा प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है, अतः एक अंशधारी जब चाहे अपने अंशों को बेच सकता है।

(viii) कंपनी तब तक अस्तित्व में नहीं आती है जब तक कि अधिनियम के अनुसार पंजीकरण न हो जाए। इसलिए कंपनी का पंजीकरण अनिवार्य होता है।

(ix) सामान्यतः कंपनी के अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किये गये अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है। सीमित दायित्व से अधिक क्षतिपूर्ति के लिए अंशधारी बाध्य नहीं होते हैं —

९ ———